रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 27, 2019/फाल्गुन 8, 1940
No. 80] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 27, 2019/PHALGUNA 8, 1940

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2019

सं. 12-15/2012-केहोप (पार्ट-1).— होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम,1973 (1973 का 59वॉ) की धारा 33 के खंड **(ज)** द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (होम्योपैथी महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पतालों के लिये न्यूनतम मानक स्तर) विनियम, 2013 में निम्न संशोधन करती है, अर्थात:

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन विनियमों का नाम होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (होम्योपैथी महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पतालों के लिये न्यूनतम मानक स्तर) संशोधन विनियम, 2019 होगा ।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2 होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (होम्योपैथी महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पतालों के लिये न्यूनतम मानक स्तर) विनियम, 2013 के विनियम 12 के पश्चात निम्न विनियम को जोडा जायेगा अर्थात :

"12क. वर्तमान शिक्षण कर्मचारी वृन्द की पदोन्नति हेतु अर्हता: सहायक प्राध्यापक अथवा व्याख्याता स्तर के वर्तमान शिक्षण कर्मचारी वृन्द को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष के अंदर सह-प्राध्यापक अथवा प्रवाचक के पद पर पदोन्नति हेतु राष्ट्रीय शिक्षक योग्यता परीक्षा (एन टी इ टी) उत्तीर्ण करनी होगी ।

12ख. शिक्षण कर्मचारी वृन्द का चयन: (1) ऐसे अभ्यार्थी जिनकी अर्हता अनुसूची- **VII** में उल्लेखित हो, वह अपनी नियुक्ति से पूर्व होम्योपैथी हेतु राष्ट्रीय शिक्षक योग्यता परीक्षा, जिसका आयोजन केंद्रीय सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा होगा, में सम्मिलित होने हेतु हकदार होंगे ।

(2) राष्ट्रीय शिक्षक योग्यता परीक्षा परिणाम के आधार पर तैयार योग्यता क्रम सूची, उक्त परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक वैध होगी।

(3) अर्हित अभ्यार्थियो को केंद्रीय परिषद् द्वारा उनकी नियुक्ति से पूर्व एक विशिष्ठ सत्यापन कोड जारी किया जायेगा ।"

डॉ०आशिस दत्ता, रजिस्ट्रार सह सचिव

[विज्ञापन -III/4/असा./556/18]

नोट : मूल विनियमों को भारत के असाधारण, राजपत्र भाग-III,खण्ड–4 में अधिसूचना संख्या12-10/2000-केहोप (भाग– III) दिनाक 8 मार्च, 2013 तथा तत्पश्चात संशोधन संख्या 12-15/2012-केहोप (भाग) दिनांक 28 नवम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया।

THE CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2019

No. 12-15/2012-CCH(Pt.-I).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of section 33 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments in the Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2013, namely: —

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and attached Hospitals) amendment Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. After regulation 12 of the Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2013, the following regulation shall be inserted namely:—

> "12A. Qualification for promotion to the existing teaching staff—The existing teaching staff at the level of Assistant Professor or Lecturer shall pass the National Teachers Eligibility Test (NTET), within two years from the date of publication of this notification, for promotion to the post of Associate Professor or Reader.
>
> 12B. Selection of teaching staff— (1) The candidate who is having qualifications as laid down in Schedule VII, shall be entitled to appear in the National Teachers Eligibility Test for Homoeopathy to be conducted by the authority designated by the Central Government, before his appointment.
>
> (2) The merit list, prepared on the basis of the result of the National Teachers Eligibility Test, shall be valid for a period of three years from the date of declaration of the result of the said test.
>
> (3) The qualified candidates shall be allotted a unique verification code by the Central Council before their appointment."

Dr. ASHIS DATTA, Registrar-cum-Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./556/18]

Note— The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* notification No. 12-10/2000-CCH(Pt.III) dated 8th March, 2013 and subsequently amended *vide* No. 12-15/2012-CCH (Pt.) dated 28th November, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.27 19:56:37 +05'30'